



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-15062026-273455
CG-CG-E-15062026-273455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3 (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]
No. 2953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

बिलासपुर, 2 जून, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 3059(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1507 तारीख 25 मार्च 2026 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगडा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंझारोड-अनूपपुर, रायपुर-लखोली, दुर्ग-दारेकसा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र नवभारत (हिन्दी), नई दुनिया (हिन्दी) एवंहितवादा (अंग्रेजी) दिनांक 09-04-2026 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त

अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

जिला का नाम – बिलासपुर

तहसील – बिलासपुर

भूमि का प्रकार– निजी भूमि

क्रमांक	गाँव का नाम	खसरा/ प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	तिफरा	999	0.1174
2		1484	0.0440
3		1002	0.0640
योग 0.2254 हेक्टेयर			

जिला का नाम – बिलासपुर

तहसील – बिलासपुर

भूमि का प्रकार– शासकीय भूमि

क्रमांक संख्या	गाँव का नाम	खसरा/ प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	तिफरा	1486	0.1340
2		1483	0.0240
3		1480	0.0050
4		1485	0.1010
योग: 0.2640 हेक्टेयर			

कुल योग –0.4894 हेक्टेयर

[फा. नं. सी पी एम/वीएसपी/इल/2ग25 के.वी.ओ.एच.ई/भूमि अधि./20 E/2201]

मुदीत भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS, GOVERNMENT OF INDIA

(South East Central Railway)

Bilaspur, the 2nd June, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 3059(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **1507**, dated the **25 March 2026** published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, **Tilda-Bilaspur**, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi, Durg- Darekasa sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, **Chhattisgarh**, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers **Nav Bharat (Hindi)**, **Nai Duniya(Hindi)**, **Hitvada (English)** on dated **09/04/2026** and whereas, **no objection was received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Name of District :- Bilaspur

Tehsil :- Bilaspur

Type of land:- Private land

S. No.	Name of Village	Khasra / Plot No.	Area (in Hect.)
1	Tifra	999	0.1174
2		1484	0.0440
3		1002	0.0640
Total: 0.2254 Hect.			

Name of District :- Bilaspur

Tehsil :- Bilaspur

Type of land:- Govt. land

S.N.	Name of Village	Khasra / Plot No.	Area (in Hect.)
1	Tifra	1486	0.1340
2		1483	0.0240
3		1480	0.0050
4		1485	0.1010
Total: 0.2640 Hect.			

Grand Total: 0.4894 Hect.

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20E/2201]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.